न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. 16/2019

प्रार्थी	अप्रार्थी
नथमल उर्फ चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चुन्टीसरा तह0 व जिला नागौर।	1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश नागौर। 2. तहसीलदार नागौर।

उपस्थित :–

श्री नरेन्द्र सारस्वत, (वकील प्रार्थी)

आवेदन पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

::आदेश::

दिनांक :– ....

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

वादी के खातेदारी कब्जे कारत की भूमि खसरा संख्या 121 रकबा – 23 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 147 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा चून्टीसरा में आई हुई है।

वादी का वास्तविक तथा प्रचलन में नाम नथमल है और उसका घर का नाम चन्द्रप्रकाश है। वादी के सारे दस्तावेजो राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स वगैरा में वादी का नाम नथमल पुत्र भंवरलाल दर्ज है लेकिन राजस्व रेकर्ड खतोनी में उसका घर में बोला जाने वाला नाम चन्द्रप्रकाश दर्ज हो रखा है।

खतोनी में अलग नाम दर्ज होने ओर अन्य सरकारी दस्तावेजो में अलग नाम दर्ज होने से वादी को सरकार द्वारा संचालित होने वाली कई योजनाओ से वंचित होना पड़ रहा है तथा वादी को केसीसी व ऋण नहीं मिल पा रहा है। नथमल पुत्र भंवरलाल तथा चन्द्रप्रकाश पुत्र भंवरलाल एक ही आदमी है और अलग अलग नहीं है। वादी राजस्व रेकर्ड खतोनी में दुरुस्ती कराकर अपना नाम चन्द्रप्रकाश के स्थान पर नथमल दर्ज कराना चाहता है जिस हेतु यह वाद प्रस्तुत है।

अन्त में इस्तदुआ चाही कि ग्राम चून्टीसरा के खसरा संख्या 121 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा तथा ख. न. 147 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार चन्द्रप्रकाश के नाम को दुरुस्त करते हुए चन्द्रप्रकाश के स्थान पर खातेदार नथमल पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी चून्टीसरा दर्ज करने की घोषणा की डिक्री पारित की जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार नागौर को जरिये नोटिस तलब किया तथा मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नागौर से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प चूंटीसरा में पैरावाईज मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मौजा चूंटीसरा के ख.नं. 121 व 147 में खातेदार का नाम चन्द्रप्रकाश के स्थान पर नथमल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण शुद्धि किये जाने की अभिशंषा की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार नागौर ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौजा ग्राम चूंटीसरा के ख.नं. 121 व 147 खातेदार का नाम चन्द्रप्रकाश के स्थान पर नथमल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण शुद्धि किये जाने की रिपोर्ट की हैं, उसी अनुसार आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं राज्य पक्षकार जरिये तहसीलदार नागौर की मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर मौजा ग्राम चूंटीसरा के ख.नं. 121 व 147 में खातेदार का नाम चन्द्रप्रकाश के स्थान पर नथमल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण दुरूस्त करने के तहसीलदार नागौर को आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर